राजनीतिक

- **मुझे छेड़ोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा**

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण भाषण में कहा मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान है।

- **बांग्लादेश की घटना के बाद ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया क्यों**

ममता बनर्जी ही एकमात्र नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के बाद अपना बयान जारी किया। सूत्रों के अनुसार हाल ही में ममता ने खुलेआम कहा था कि पश्चिम बंगाल उन लोगों की मदद करेगा जो पड़ोसी देश छोड़ना चाहते हैं। अब स्थिति बदल गई है और डर है कि हिंदू बड़ी संख्या में आ सकते हैं और वे राजनीतिक रूप से उनके अनुकूल नहीं हैं।

प्रशासनिक

- **बृजेश मेहरोत्रा को मिलेगा सेवा विस्तार!**

बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को अगस्त के अंत में छह महीने का सेवा विस्तार मिलने की उम्मीद है। वह 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

- **चैतन्य प्रसाद होंगे बिहार के नए मुख्य सचिव**

बिहार में बृजेश मेहरोत्रा के बाद अगले मुख्य सचिव के तौर पर चैतन्य प्रसाद को चुना जाना तय माना जा रहा है। वे 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

- **महाराष्ट्र में तीन वरिष्ठ महिला नौकरशाहों ने रचा इतिहास**

महाराष्ट्र में तीन वरिष्ठ महिला नौकरशाह इतिहास रच रही हैं। राज्य में पहली बार तीन अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) का नेतृत्व महिलाओं के हाथों में है, जो महिला शक्ति का प्रतिबिंब है। इन तीन शक्तिशाली महिलाओं के नाम सुजाता सौनिक (भारतीय प्रशासनिक सेवा), रश्मि शुक्ला (भारतीय पुलिस सेवा) और शोमिता बिस्वास (भारतीय वन सेवा) हैं। सौनिक, शुक्ला और बिस्वास महाराष्ट्र में अपने-अपने कैडर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सौनिक मुख्य सचिव हैं, 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी शुक्ला पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हैं और 1988 बैच की आईएफओएस अधिकारी बिस्वास प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं।

- **एमसीयू के कुलपति पद के लिए दौड़ शुरू**

माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति पद के लिए दौड़ शुरू हो गई है। आशीष जोशी, विजय मोहन तिवारी, संजय जोशी और श्री राम तिवारी के नाम चर्चा में हैं। केजी सुरेश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सितंबर में यह पद खाली हो रहा है।

- **डब्ल्यूसीएल में निदेशक (तकनीकी) के लिए साक्षात्कार आज**

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) 7 अगस्त, 2024 को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) में निदेशक (तकनीकी) के पद के लिए साक्षात्कार आयोजित कर रहा है।

- **आशुतोष कुमार को राम नाथ ठाकुर का निजी सचिव नियुक्त किया गया**

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के निजी सचिव के रूप में आशुतोष कुमार को नियुक्त किया गया है। वे 2013 बैच के आईआरएस-सीएंडसीई अधिकारी हैं।

- **महात्मे संदीप नामदेव को राजीव रंजन सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया**

महात्मे संदीप नामदेव को पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वह त्रिपुरा कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

- **सुकांत वत्स को कीर्तिवर्धन सिंह का पीएस नियुक्त किया गया**

सुकांत वत्स को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वे 2013 बैच के आईआरएस-आईटी अधिकारी हैं।

- **दिल्ली पुलिस की एक और तबादला सूची जल्द**

सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस की एक और तबादला सूची जल्द ही जारी होने की संभावना है। इस बार ज्वाइंट सीपी और डीसीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी प्रभावित होने वाले हैं।

- **अपर्णा एन को एनआईए में एसपी नियुक्त किया गया**

सुश्री अपर्णा एन को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में पुलिस अधीक्षक के रूप में शामिल किया गया है। वह असम-मेघालय कैडर की 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं।

- **क्या यह सीबीआई प्रकरण की पुनरावृत्ति थी**

बीएसएफ के दो प्रमुखों को अचानक वापस भेजे जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों ने बताया कि पांच साल पहले दो प्रमुखों नंबर एक और दो को सीबीआई से इसलिए हटाया गया था क्योंकि दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध थे। ऐसा लगता है कि यह प्रकरण दोहराया गया। लेकिन सवाल यह है कि असली कारण की पुष्टि कौन करेगा दूसरी थ्योरी यह कह रही है कि बीएसएफ प्रमुख कथित तौर पर जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ के बारे में गृह मंत्रालय को गलत जानकारी दे रहे थे। और यही कारण था कि दोनों शीर्ष अधिकारियों को कुछ ही समय में वापस भेज दिया गया।

- **सुश्री नितिना नागोरी को आईएन-एसपीएसीई मुख्यालय में उप निदेशक (प्रशासन) नियुक्त किया गया**

सुश्री नितिना नागोरी को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत अहमदाबाद स्थिताईएन-एसपीएसीई मुख्यालय में उप निदेशक (प्रशासन) के पद पर नियुक्त किया गया है। वह 2009 बैच की आईआरएस-सीएंडआईटी अधिकारी हैं।

- **एनआईटी, एपी निदेशक पद का विज्ञापन**

उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश (एनआईटी, एपी) में निदेशक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त, 2024 तक या उससे पहले पहुंचने चाहिए।

संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के विभाजन और अपनी संपत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया का करें सरलीकरण : मुख्यमंत्री

लखनऊ।

मात्र 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के साथ अपनी अचल संपत्ति को रक्तसंबंधियों के नाम करने की बड़ी सहूलियत देने के बाद उत्तर प्रदेश में अब पारिवारिक विभाजन और व्यवस्थापन में भी बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे तथा जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिवारी जनों के नाम किए जाने पर देय स्टाम्प शुल्क भी 5,000 रुपये तय किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक खर्च के कारण प्राय: परिवार में विभाजन की स्थिति में विवाद की स्थिति बनती है और कोर्ट केस भी होते हैं। न्यूनतम स्टाम्प शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा। मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा आम आदमी के ईज़ ऑफ़ लिविंग के लिए अनेक प्रयास किये गए हैं। संपत्ति विभाजन

और व्यवस्थापना प्रक्रिया में सरलीकरण से लोगों को और सुविधा होगी।

यह होता है विभाजन

विभाजन विलेख में सभी पक्षकार विभाजित सम्पत्ति में संयुक्त हिस्सेदार होते हैं एवं विभाजन उनके मध्य होता है।

विभाजन विलेख में प्रस्तावित छूट एक ही मृतक व्यक्ति के समस्त लीनियल डीसेंडेंट्स, जो सहस्वामी हों, को आच्छादित करेगी अर्थात यदि दादा की मूल सम्पत्ति में वर्तमान जीवित हिस्सेदार चाचा/भतीजा/भतीजी हैं, तो वह इसका उपयोग कर सकते हैं।

यह होता है व्यवस्थापन

व्यवस्थापन विलेख में व्यवस्थापन कर्ता पक्षकार (जीवित) अपनी व्यापक सम्पत्ति को कई पक्षकारों के मध्य निस्तारित करता है। व्यवस्थापन विलेख में प्रस्तावित छूट के अधीन व्यवस्थापन कर्ता पक्षकार अपने समस्त लीनियल डीसेंडेंट्स/डीसेंडेंट्स, जो किसी भी पीढ़ी के हों, के पक्ष में व्यवस्थापन कर सकता है। अर्थात सम्पत्ति यदि परदादा परदादी जीवित हों, तो उनके पक्ष में, एवं यदि प्रपौत्र/प्रपौत्री जीवित हों, तो उनके पक्ष में भी किया जा सकता है।

जिन फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता से पीछे है, उसके लिए बनाएं विशेष कार्य योजना : सूर्य प्रताप शाही

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश में बुआई के क्षेत्रफल के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक की। उन्होंने कहा कि आच्छादन के आंकड़ों को प्रत्येक तीन दिन पर संकलित किया जाये।

जिन फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता से पीछे है, उन फसलों की कार्य-योजना बनाकर अगले 1 से 2 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय स्तर की उत्पादकता प्राप्त की जाये।

कृषि भवन में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने योजना अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि दलहन एवं तिलहन तथा मक्का पर विशेष बल दिया जाये। रबी की बुवाई हेतु किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता कराने हेतु अभी से तैयारी कर ली जाये। चना, मसूर एवं मक्का के बीज जो अधिक उत्पादकता वाले हैं तथा प्रदेश के लिये उपयुक्त भी हैं, उन्हीं प्रजातियों की माँग कर बीज उपलब्ध कराया जाये। बाजरे की फसल को भी बढ़ावा दिया जाना है। इस हेतु अभी से कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये। इस दौरान मंत्री द्वारा कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा अनुभाग का निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि आच्छादन के आंकड़ों का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करें। साथ ही वर्षा के आंकड़ों का भी परीक्षण करें। डिजिटल कॉप सर्वे का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित की जाये। बाजरा, मक्का एवं तिल की उत्पादकता में गिरावट के कारणों पर एनॉलिसिस किया जाये। इस दौरान विभाग के सभी संबंधित योजना अधिकारी उपस्थित थे।

मीरजापुर में गंगा का जलस्तर 4.75 सेमी प्रति घंटे बढ़ रहा

मीरजापुर।

गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि का क्रम फिर शुरू हो गया है। मंगलवार की सुबह आठ बजे गंगा के जलस्तर में 4.75 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही थी। इसके साथ ही जिले में गंगा का जलस्तर 71.940 मीटर पहुंच गया है।

पानी बढ़ने से गंगा किनारे के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। जिले में चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर तथा खतरे का निशान 77.724 मीटर पर है। गंगा चेतावनी बिंदु से लगभग पांच मीटर और खतरे के निशान से लगभग छह मीटर नीचे बह रही हैं। गंगा के जलस्तर में सबसे ज्यादा वृद्धि वर्ष 1978 में 80.34 मीटर दर्ज किया गया

था। वहीं वर्ष 2023 में अधिकतम जलस्तर 73.66 मीटर रिकॉर्ड किया गया था।

फिलहाल जिले में अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से सदर व चुनार तहसील क्षेत्र में गंगा के तटवर्ती गांवों में 37 बाढ़ चौकियों के साथ ही बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित कर निगरानी बढ़ा दी गई है।

मीरजापुर नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार ने बताया कि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। कानपुर बैराज से गंगा में पानी छोड़ा गया है।

लखनऊ में दीवार के मलबे के नीचे दबे युवक की मौत

लखनऊ। लखनऊ में महानगर थाना क्षेत्र में शौचालय की दीवार के मलबे के नीचे दबे युवक की उपचार के दौरान मौत हो गयी है। मृत युवक का नाम सुजीत झा बताया जा रहा है। सुजीत झा एक किराये का कमरा लेकर पुरवां कालोनी में रहता था। वह निजी कार्य करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार की तड़के सुबह तीन बजे उसके कमरे के बांयी ओर शौचालय की दीवार गिर गयी थी। उसके नीचे आने से वह दब गया। इसके बाद उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान सुजीत झा की मौत हो गयी। घटना के संबंध में जानकारी होने पर महानगर थाने के निरीक्षक अखिलेश कुमार अस्पताल पहुंचें और आगे की कार्यवाही में जुट गये है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

वाराणसी में दो पुराने मकान ढहे, मलबे में दबी महिला की मौत

प्रधानमंत्री ने जिला प्रशासन से ली हादसे की जानकारी

वाराणसी।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप येलो जोन में सोमवार देररात दो पुराने मकान धराशायी हो गए। इनके मलबे में नौ लोग दब गए। तेज आवाज और घायलों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग जुट गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकाल कर कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल पहुंचाया। वहां महिला प्रेमलता की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिला प्रशासन से घटना की जानकारी ली।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप खोवा गली में मणिकर्णिका द्वार के पास मनीष और राजेश गुप्ता के लगभग 70 साल पुराने मकान हैं। सोमवार देररात लगभग तीन बजे दोनों मकान की जर्जर दीवारें गिर गईं। मकानों के मलबे में तीन महिला और ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी समेत 9 लोग दब गए थे।

कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि मंडलीय कबीर चौरा अस्पताल में मलबे से निकालर कर भर्ती कराए गए लोगों में से एक महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित किया है। बचाव अभियान लगभग पूरा हो चुका है। हमारी प्राथमिकता मलबा साफ करना और इलाके के अन्य घरों में पानी और बिजली की आपूर्ति बहाल करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुबह कमिश्नर कौशल राज शर्मा से फोन पर वार्ता कर जानकारी ली। मंडलायुक्त ने प्रधानमंत्री को एनडीआरएफ, फायर, पुलिस, प्रशासन द्वारा चलाये गए रेस्क्यू आपरेशन तथा घायलों के अस्पताल में कराये जा रहे इलाज की पूरी विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने गिरे दोनों मकान में रह रहे सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए दुर्घटना में मृत महिला के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित हो कि मेरे पक्षकार ने विक्रेतागण मुबारिक पिता बाबु खाँ, जाकीर पिता बाबु खाँ, रेहानाबी पति बाबू खाँ सभी जाति मुसलमान निवासी मेन रोड भीकनगाँव तहसील भीकनगाँव जिला खरगोन के स्वामित्व एवं अधिपत्य की ग्राम उमरदड तहसील भीकनगाँव जिला खरगोन प.ह.नं. पुराना 31 में स्थित कृषि भूमि जिसका खसरा नं. क्रमशः 99/2, 103/2, 98/2 98/3, 100/1/2/1, 101/1, 101/7, 103/1, 102/3, 103/3, 100/1/2/2 रकबा कमश 0.611, 1.299, 1.053, 0.627 0.300, 0. 809, 0.405, 0.809, 0.405, 1.299, 0.065 हे. कुल रकबा 7.682 हे. कुल लगान 18.20 पैसे की भूमि जिसकी चर्तुसीमा खसरा अनुसार है इस चर्तुसीमा के दरम्यान की भुमि को क्रय करने का सौदा करार मेरे पक्षकार ने विक्रेतागण से किया होकर विक्रेतागण को बयाना राशि का भुगतान कर दिया है। सदर सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति, संस्था आदि का ऋण डिक्री, अनुबंध, विक्रय, दान, जमानत, हक्क, दखल या किसी भी प्रकार का भार या बोझ हो या इस विक्रय व्यवहार बाबद कोई आपत्ति हो तो सबंधित व्यक्ति या संस्था सूचना प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में मयप्रमाण के लिखित आपत्ति मुझे प्रस्तुत करें, अन्यथा समयावधि पश्चात मेरे पक्षकार सदर सम्पत्ति के दस्तावेज का विधिवत् पंजीयन करवा लेंगे तत्पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं रहेगी।

1420 **एम.एच. लाहोरी, एडव्होकेट**
भीकनगांव मो. नं. 9039468181

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग क्रमांक-6, गोमिन्तका परिसर, भोपाल

आम सूचना

तुलसी ग्रीन्स तुलसी नगर भोपाल में प्रकोष्ठ भवन TOWER A 3rd Floor A-1, 4BHK मंडल द्वारा श्री राजीव कुमार गुप्ता आत्मज श्री आर. एस. गुप्ता निवासी-सी-543 पुष्पा नगर कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) के नाम से पंजीकृत है श्री राजीव कुमार गुप्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिनांक 17.7.2024 को आवेदन-पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति में श्री गौरव शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी- टी.एफ-2 साई तीर्थ अपार्टमेंट नीरज हाउसिंग सोसाइटी बावड़िया कलां भोपाल (म.प्र.) का नाम संयुक्त करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। प्रकोष्ठ भवन TOWER A 3rd Floor A-1, 4BHK में श्री राजीव कुमार गुप्ता के साथ श्री गौरव शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा का नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। अतः उक्त सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था, उत्तराधिकारी अन्य को कोई आपत्ति है तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर मय सबूत के कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करे। अन्यथा अवधि व्यतीत होने के उपरांत संयुक्त नाम की कार्यवाही की जावेगी। तपश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

1421 **सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग क्रमांक-6, गोमिन्तका परिसर, भोपाल**

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग क्रमांक-6, गोमिन्तका परिसर, भोपाल

आम सूचना

तुलसी ग्रीन्स तुलसी नगर भोपाल में प्रकोष्ठ भवन TOWER A 12th Floor A-1, 3BHK-A, मंडल द्वारा श्री राजीव कुमार गुप्ता आत्मज श्री आर. एस. गुप्ता निवासी सी-543 पुष्पा नगर कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) के नाम से पंजीकृत है श्री राजीव कुमार गुप्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिनांक 7.07.2024 को आवेदन-पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति में श्री सौरभ शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी- टी. एफ- 2 साई तीर्थ अपार्टमेंट नीरज हाउसिंग सोसाइटी बावड़िया कलां भोपाल (म.प्र.) का नाम संयुक्त करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये है। प्रकोष्ठ भवन TOWER A 12th Floor A- 1, 3BHK-A में श्री राजीव कुमार गुप्ता के साथ श्री सौरभ शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा का नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। अतः उक्त सम्बन्ध में किसी व्यक्ति संस्था, उत्तराधिकारी, अन्य को कोई आपत्ति है तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर मय सबूत के कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करे। अन्यथा अवधि व्यतीत होने के उपरांत संयुक्त नाम की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

1422 **सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग क्रमांक-6, गोमिन्तका परिसर, भोपाल**

जहिर सूचना

एक किता भूखण्ड क्रमांक, 53 जो कि खसरा क्रमांक-532/1, 532/2 हो गया है का अंश भाग होकर ग्राम कलखेड़ा पटवारी हल्का नंबर क्रमांक-33, राजस्व निरीक्षक मंण्डल-3 रातीबड़, विकास खण्ड फन्दा तहसील हुजुर जिला भोपाल (म.प्र) के संबंध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार द्वारा 1. श्रीमती कोमल नेमा 2. श्री कमलेश नेमा निवासी सी-586 पुष्प नगर भोपाल (म.प्र) से उनके मालिकी, स्वामित्व एवं अधिपत्य के भूखण्ड भूखण्ड क्रमांक- 53 जो कि खसरा क्रमांक-532 / 1, 532/2 हो गया है का अंश भाग होकर ग्राम कलखेड़ा पटवारी हल्का नंबर क्रमांक-33, राजस्व निरीक्षक मंण्डल - 3 रातीबड़, विकास खण्ड फन्दा तहसील हुजुर जिला भोपाल (म.प्र) जो भोपाल नगर निगम सीमा के बाहर तथा मुख्य मार्ग से अंदर की ओर स्थित है, जिसका साईज 25×40=1000 अर्थात 92.93 वर्गमीटर है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार हैं- दिशा पूर्व में भूखण्ड क्रमांक 54, दिशा पश्चिम में भूखण्ड क्रमांक 52, दिशा उत्तर में रोड 20 फिट चौड़ा और दिशा दक्षिण में भूखण्ड क्रमांक 28 को क्रय करने का विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित करने का निश्चय किया है। उपरोक्त संपत्ति बाबत् या उसके विक्रय बाबत किसी व्यक्ति विशेष, वित्तीय संस्थान या बैंक सोसायटी व शासकीय निगम संस्थान को कोई आपत्ति हो तो वह इस प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर मेरे नीचे लिखे पते पर लिखित रूप में दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करे अन्यथा मेरा पक्षकार उपरोक्त संपत्ति का विक्रय पत्र अपने हक में निष्पादित करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा व समयावधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

Mohit Vyas, Advocate
Office: 21-B, Surya Nagar, Gupta Colony, Anand Nagar, Bhopal (M.P.)
Mob No. 8817776549
1423

न्यायालय, आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम लेबर कोर्ट नं. 1 भोपाल
प्र.क्र. 22/ डब्ल्यूसीएएक्ट/2024 विविध

सूचना पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक .... को हुई दुर्घटना में श्रमिक श्री अजीत सिंह आत्मज श्री .... की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि नियोक्ता इफको टोकियो जनरल्स इंश्योरेन्स कं. लि. द्वारा इस न्यायालय में रुपए 10,00,000/- अक्षरी रुपए दस लाख मात्र मृतक के आश्रितों को वितरण करने हेतु जमा किए गए हैं। यह राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जमा की गई है। अतः यदि कोई व्यक्ति धारा 21 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृतक का आश्रित हो तो वह दिनांक 29/8/2024 को सुबह 10.30 बजे मेरे समक्ष इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना क्लेम एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें और साथ में अपनी शिनाख्तगी के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड किया हुआ स्वयं का फोटो भी साथ में लावें। उक्त दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारण से कार्य स्थगित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जावेगी। ध्यान रहे कि उपरोक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अतः आज दिनांक 5.8.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

जीओबी **आयुक्त**
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम
श्रम न्यायालय क्रमांक 1 भोपाल म.प्र.

न्यायालय, आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम लेबर कोर्ट नं. 1 भोपाल
प्र.क्र. 59/ डब्ल्यूसीएएक्ट/2024

सूचना पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27.12.2023 को हुई दुर्घटना में श्रमिक श्री भारत कुमार सिंह आत्मज श्री जगदीश नारायण सिंह की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि नियोक्ता दिलीप बिल्डकान लिमिटेड भोपाल म.प्र. द्वारा इस न्यायालय में रुपए 11,48,175/- शब्दों में ग्यारह लाख अड़तालिस हजार एक सौ पछत्तर रुपए मात्र मृतक के आश्रितों को वितरण करने हेतु जमा किए गए हैं। यह राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जमा की गई है। अतः यदि कोई व्यक्ति धारा 21 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृतक का आश्रित हो तो वह दिनांक 11/9/2024 को सुबह 10.30 बजे मेरे समक्ष इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना क्लेम एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें और साथ में अपनी शिनाख्तगी के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड किया हुआ स्वयं का फोटो भी साथ में लावें। उक्त दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारण से कार्य स्थगित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जावेगी। ध्यान रहे कि उपरोक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अतः आज दिनांक 5.8.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

जीओबी **आयुक्त**
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम
श्रम न्यायालय क्रमांक 1 भोपाल म.प्र.

न्यायालय, आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम लेबर कोर्ट नं. 1 भोपाल
प्र.क्र. 58/डब्ल्यूसीएएक्ट/2024

सूचना पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21.12.2023 को हुई दुर्घटना में श्रमिक श्री गोपाल कटारे आत्मज श्री मुरली कटारे की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि नियोक्ता दिलीप बिल्डकान लिमिटेड भोपाल म.प्र. द्वारा इस न्यायालय में रुपए 16,26,825/- शब्दों में सोलह लाख छब्बीस हजार आठ सौ पच्चीस रुपए मात्र मृतक के आश्रितों को वितरण करने हेतु जमा किए गए हैं। यह राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जमा की गई है। अतः यदि कोई व्यक्ति धारा 21 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृतक का आश्रित हो तो वह दिनांक 10/9/2024 को सुबह 10.30 बजे मेरे समक्ष इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना क्लेम एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें और साथ में अपनी शिनाख्तगी के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड किया हुआ स्वयं का फोटो भी साथ में लावें। उक्त दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारण से कार्य स्थगित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जावेगी। ध्यान रहे कि उपरोक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अतः आज दिनांक 5.8.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

जीओबी **आयुक्त**
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम
श्रम न्यायालय क्रमांक 1 भोपाल म.प्र.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने कृषि भूमि जिसका खसरा नं. 809 रकवा 2.2460 हेक्टेयर में से 0.4050 हेक्टेयर अर्थात 1 एकड़ कृषि भूमि स्थित ग्राम दौराहा, तहसील दौराहा पटवारी हल्का क्रमांक 63 जिला सीहोर जो कि नगर निगम सीमाओं के बाहर ग्राम पंचायत के क्षेत्र अधिकार में जो कि विक्रय करने का अनुबंध श्रीमती सुंदर बाई पत्नी श्री चिरोंजीलाल आयु व्यस्क से कर लिया है और 5 दिवस के बाद रजिस्ट्री करवा ली जावेगी। यदि किसी व्यक्ति संस्था बैंक सहकारी बैंक वित्तीय संस्था शासकीय अर्द्धशासकीय शासकीय विभाग इत्यादि को किसी भी प्रकार रहन, हिबा, मेहर तथा पूर्व का कोई अनुबंध हो या कोई बकाया हो तो इस सूचना के प्रकाश दिनांक से 5 दिवस के अन्दर मय दस्तावेज के मेरे कार्यालय में आकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त अवधि बीत जाने के पश्चात रजिस्ट्री करवा ली जावेगी और आपत्ति मान्य नहीं रहेगी।

अदनान सानी, एडवोकेट
स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश
हाऊस नं. 61 नियर कौशल अपार्टमेंट चौकी तलैया भोपाल मो. 9074444853
1424

आपका राशिफल 07 अगस्त

मेष (चू चे चो ला ली लू ले लो आ)
लेन-देन में स्पष्टता बनाये रखें। घर के सदस्य मदद करेंगे और साथ ही आर्थिक बदहाली से भी मुक्ति मिलने लगेगी। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। पदोन्नति की संभावना है। राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। शुभांक-7-8-9

वृष (इ उ ए ओ वा वी वू वे वो)
आज की सुविधा कल नहीं मिल पायेगी, लाभ उठाएं। मित्रों से सावधान रहें तो ज्यादा उत्तम है। व्यापार में स्थिति नरम रहेगी। संतोष रखने से सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी। चल-अचल सम्पत्ति में वृद्धि होगी। शैक्षणिक क्षेत्र में उदासीनता रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभांक-2-5-7

मिथुन (का की कू घ ङ छ के को हा)
अपना कार्य दूसरों के सहयोग से बना लेंगे। मित्रों की उपेक्षा करना ठीक नहीं रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझनें रहेंगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि व शिक्षा में परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यापार में वृद्धि होगी। शत्रुपक्ष पर आप हावी